न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 04/2019 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

नाथूलाल पुत्र स्व. सत्नारायण निवासी 64–पटेल नगर कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः 28.06.2019

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर के कार्यालय में प्रेषित किया जाना अपील में अंकित किया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 31.05.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपील के साथ आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) संलग्न होकर प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपील मीमो का जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अपीलांट स्वयं उपस्थित आया। जिसके द्वारा अपील के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 6 (1) का आवेदन पत्र संलग्न नहीं किये जाने का कथन किया गया एवं आवेदन पत्र की छायाप्रति आगामी तारीख पेशी पर पेश किये जाने का निवेदन किया गया। आवेदक/अपीलांट उपथित आया। आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 6 (1) प्राप्ति कमांक 20 दिनांक 20.05.2018 जो कि सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रथम) जयपुर को दी गई की छायाप्रति पेश की गई। अपीलांट को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदक/अपीलांट द्वारा एक वर्ष पुराने आवेदन पत्र की छायाप्रति पेश की गई जो कि अपील में उठाये गये बिन्दुओ से भिन्न है। आवेदक/अपीलांट उपस्थित होकर यह बताने में असफल रहे कि उनके द्वारा सूचना क्या चाही जा रही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर